

**राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के
अंतर्गत आने वाले दस्तावेज**

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3 (3) के अंतर्गत निम्नलिखित सभी दस्तावेज आदि अनिवार्य रूप से द्विभाषी अथवा हिंदी में जारी होने चाहिए—

- ❖ सामान्य आदेश / General Orders
- ❖ संकल्प / Resolution
- ❖ परिपत्र / Circulars
- ❖ नियम / Rules
- ❖ प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन / Administrative & other Reports
- ❖ प्रेस विज्ञप्तियां / Press Release
- ❖ संविदाएं / Contracts
- ❖ करार / Agreements
- ❖ अनुज्ञप्तियां / Licences
- ❖ निविदा प्ररूप / Tender Form
- ❖ अनुज्ञा-पत्र / Permits
- ❖ निविदा सूचनाएं / Tender Notices
- ❖ अधिसूचनाएं / Notificatons
- ❖ संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज-पत्र /
Reports & documents to be laid before the Parliament

उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी किया जा रहा है।
